

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड
नामकुम, राँची।

फोन न०- 0651-2261000, 2261856-2261002 मेल आईडी- nrhmjharkhand3@gmail.com

पत्रांक: 9/RCH-199/2012- 649 (R4)

दिनांक : 13.2.2017

प्रेषक,

डॉ. वीणा सिन्हा,
उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ,
झारखण्ड।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,
दुमका / गोड्डा / पाकुड़ / गिरीडीह / धनबाद / चतरा /
रामगढ़ / पश्चिमी सिंहभूम / सरायकेला /
पूर्वी सिंहभूम / पलामू / गढ़वा / सिमडेगा / खुँटी / लोहरदगा।

विषय - वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत 15 नये कुपोषण उपचार केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ करने के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा राज्य में कुल 15 नये कुपोषण उपचार केन्द्रों (10 बेड) के संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के अनुसार संबंधित जिलों को FMR Code A.2.5 के तहत कुपोषण उपचार केन्द्र के स्थापना हेतु Renovation / Civil Work मद में 2,00,000/- (दो लाख रुपये) (One time expenditure) प्रति कुपोषण उपचार केन्द्र के दर से उपलब्ध करायी गयी है। राज्य स्तर को निम्नलिखित में से किसी भी कुपोषण उपचार केन्द्र के संचालन संबंधी कोई भी सूचना अप्राप्त है।

क्र०	जिला का नाम	कुपोषण उपचार केन्द्र	स्वीकृत बेड
1	Dumka	Kathikund	10
2	Godda	Sadar	10
3	Pakur	Pakuria	10
4	Giridhi	Gdeyan	10
5	Dhanbad	Balia	10
6	Chatra	Itkohari	10
7	Ramghar	patratu	10
8	W.Singhbhum	Manoharpur	10
9	Sarakela	Kharsawa	10
10	E.Sinbhum	Musabani	10
11	Palamu	Manatu	10
12	Garhwa	Kandi	10
13	Simdega	Jaldega	10
14	Khuti	Arki	10
15	Lohardaga	Kisko	10

अतः कुपोषण उपचार केन्द्रों के संचालन हेतु मार्गदर्शिका संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि उपांकित स्वीकृत कुपोषण उपचार केन्द्रों का संचालन दिनांक 15.03.2017 तक करते हुए कुपोषण उपचार केन्द्रों पर भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्ग-निर्देश के आलोक में 4 ए.एन.एम. एवं 1 चिकित्सा पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही यदि स्वीकृत स्थल पर कुपोषण उपचार केन्द्र का संचालन नहीं किया जा सकता तो अन्यत्र हेतु नाम/प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 15.02.2017 तक ई-मेल के माध्यम से chjharkhand@gmail.com पर सूचित किया जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

(उप निदेशक)


ज्ञापांक : 649 (RCH)

दिनांक : 13.2.2017

240)

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव सह अभियान निदेशक, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी जिला प्रोग्राम प्रबन्धकों / जिला लेखा प्रबन्धकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
4. पोषण विशेषज्ञ, युनिसेफ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।


(उप निदेशक)

कुपोषण उपचार केन्द्रों के संचालन हेतु संचालन मार्गनिर्देशिका

238)

राज्य में अति गंभीर कुपोषित बच्चों के समुचित इलाज एवं प्रबन्धन हेतु अस्पताल आधारित 88 कुपोषण उपचार केन्द्रों पर विशेष व्यवस्था के तहत बच्चों को उपचारित किया जा रहा है। राज्य में अतिगंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या को देखते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के NRHM ROP के तहत 15 नये कुपोषण उपचार केन्द्रों के संचालन की स्वीकृति दी गयी है। कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती किये गये बच्चों का इलाज प्रशिक्षित मेडिकल एवं पारामेडिकल कर्मियों द्वारा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों पर आधारित 24x7 व्यवस्था के अन्तर्गत किया जाता है। केन्द्र में बच्चों में चिकित्सीय जटिलता का इलाज प्रशिक्षित चिकित्सक की निगरानी में किया जाता है। अति गंभीर कुपोषित बच्चे के डिस्चार्ज होने के पश्चात् भी जब तक बच्चा कार्यक्रम विमुक्ति मापदण्ड (Discharge Criteria from the programme) प्राप्त नहीं कर लेता है वह कुपोषण उपचार केन्द्र पर फोलोअप जाँच हेतु जुड़ा रहता है।

कुपोषण उपचार केन्द्रों पर ससमय उपयुक्त चिकित्सा एवं पर्याप्त चिकित्सीय आहार से बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति में सुधार लाया जाता है। साथ ही कुपोषण उपचार केन्द्रों पर माँ को स्वास्थ्य एवं पोषण की शिक्षा देकर बच्चे के पोषण एवं स्वास्थ्य समस्याओं के निदान हेतु क्षमता वृद्धि किया जाता है।

वर्ष 2016-17 में NRHM ROP के तहत अति गंभीर कुपोषण के प्रबन्धन हेतु राज्य में निम्नलिखित 15 नये कुपोषण उपचार केन्द्रों का (10 शय्या वाले) संचालन प्रारम्भ किया जाना है।

क्र०	जिला का नाम	कुपोषण उपचार केन्द्र	स्वीकृत बेड
1	Dumka	Kathikund	10
2	Godda	Sadar	10
3	Pakur	Pakuria	10
4	Giridhi	Gdeyan	10
5	Dhanbad	Balia	10
6	Chatra	Itkohari	10
7	Ramghar	patratu	10
8	W.Singhbhum	Manoharpur	10
9	Sarakela	Kharsawa	10
10	E.Sinbhum	Musabani	10
11	Palamu	Manatu	10
12	Garhwa	Kandi	10
13	Simdega	Jaldega	10
14	Khuti	Arki	10
15	Lohardaga	Kisko	10

उपांकित 15 नये कुपोषण उपचार केन्द्रों के संचालन हेतु दिनांक 15.03.2017 तक समयसीमा निर्धारित की गयी है

उद्देश्य :-

- अति गंभीर कुपोषित बच्चों के समुचित चिकित्सीय प्रबन्धन एवं मृत्यु दर में कमी लाना, विशेषकर वैसे अति गंभीर कुपोषित बच्चे जिनमें चिकित्सीय जटिलताएँ हों।
- अति गंभीर कुपोषित बच्चों के शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास को प्रोत्साहित करना।
- माताओं एवं अन्य देखभाल करने वालों को बच्चे के आहार एवं अन्य देखभाल सूचकांकों पर क्षमता विकास।
- अति गंभीर कुपोषण के समाजिक कारणों की पहचान।

अतिगंभीर कुपोषित बच्चों के उचित प्रबन्धन हेतु कुपोषण उपचार केन्द्र पर सेवाएँ—

- 24 घन्टे विशेष देखभाल एवं अनुश्रवण।
- अति गंभीर कुपोषित बच्चों का इलाज एवं पोषण।
- चिकित्सीय जाँच।
- चिकित्सीय जटिलताओं का उपचार।
- चिकित्सीय आहार।
- माँ को बच्चे की देखभाल संबंधी क्षमता वृद्धि एवं शिक्षा।
- माँ या देखभाल करनेवाले को प्रतिदिन 100रु० की दर से पारिश्रमिक क्षतिपूरण।
- कुपोषण उपचार केन्द्र से विमुक्ति के पश्चात् बच्चों का तीन फोलो-अप जाँच।

कुपोषण उपचार केन्द्र का संचालन यथाशीघ्र प्रारम्भ किये जाने हेतु गतिविधियाँ :-

1. संचालन स्थल एवं आकार :-

कुपोषण उपचार केन्द्र अति गंभीर कुपोषित बच्चों के समुचित उपचार एवं प्रबन्धन हेतु एक विशेष यूनिट है। कुपोषण उपचार केन्द्रों पर 10 बेड की सुविधा उपलब्ध करायी जानी है।

कुपोषण उपचार केन्द्रों पर निम्न व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय:-

राष्ट्रीय संचालन मार्गनिर्देश के आलोक में कुपोषण उपचार केन्द्र का क्षेत्र 150 Square feet per bed एवं 30% अतिरिक्त स्थल होना चाहिए। 28 नये संचालित होने वाले कुपोषण उपचार केन्द्रों के लिए निम्न प्रकार स्थल चिन्हित किया जाय।

कुपोषण उपचार केन्द्रों में बेड की संख्या	कुपोषण उपचार केन्द्र के Standard मानक	अभ्युक्ति
10	1950 Square Feet	उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड, प्ले हाउस एवं काउन्सिलिंग रूम, स्क्रीनिंग रूम, किचन एवं 2 बाथरूम एवं 2 टायलेट शामिल हैं।

कुपोषण उपचार केन्द्र का माहौल खुशनुमा एवं उत्साहवर्द्धक होना चाहिए। कुपोषण उपचार केन्द्र Child Friendly होना चाहिए। कुपोषण उपचार केन्द्र के दीवारों पर बच्चों को आकर्षित करने के लिए कार्टून, पक्षी, जानवर इत्यादि की पेंटिंग की जाय। वार्ड इतना बड़ा हो जिसमें आसानी से बेड रखने की सुविधा हो ताकि माँ एवं अन्य देखभाल करनेवाले आसानी से बच्चों के साथ रह सकें। वार्ड में प्रत्येक बेड के साथ बेड साईड लाकर, गद्दा, बेबी प्रिन्ट चादर—तकिया खोल, मच्छरदानी एवं कम्बल की व्यवस्था होनी चाहिए।

- **वार्ड :-** वार्ड में निर्धारित संख्या के अनुरूप बेड की उपलब्धता आवश्यक सामग्रियों यथा — गद्दे, चादरें, बेड साईड लाकर के साथ सुनिश्चित किया जाय। वयस्कों के लिए उपयोग किये जाने वाले बेड रखें जाय ताकि माताएँ बच्चों के साथ रह सकें।
- **Play House एवं Counselling रूम :-** प्ले हाउस एवं Counselling रूम में खिलौनें, दृश्यश्रवण यंत्र यथा टी.वी. डी.वी.डी. प्लेयर इत्यादि एवं आई.ई.सी. सामग्रियों की व्यवस्था की जाय।
- **स्क्रीनिंग एवं Nursing Station :-** स्क्रीनिंग रूम में बच्चों के स्क्रीनिंग हेतु आवश्यक उपकरणों एवं आंकड़ों के संधारण हेतु आवश्यक कागजातों की व्यवस्था की जाय। प्रत्येक बच्चे के रिकार्ड के संधारण हेतु अलग-अलग प्लास्टिक फाईल रखा जाय।

- **रसोई घर :-** एक कमरे को रसोई घर के रूप में सुसज्जित किया जाय, जो वार्ड से जुड़ा हुआ हो। कमरा इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें चिकित्सीय आहार बनाने एवं विधि प्रदर्शित करने की सुविधा हो। किचन में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु Water Purifier की व्यवस्था की जाय। रसोई घर का स्लैब एवं दिवालों को आसानी से साफ किये जाने हेतु टाइल्स या मार्बल लगाया जाय ताकि संक्रमण की संभावना नहीं हो। साथ ही रसोई घर में ही सामग्रियों के भण्डारण हेतु रैक एवं Refrigerator की व्यवस्था की जाय। खाद्य सामग्रियों के भण्डारण हेतु हवा बंद स्टील के डिब्बों का प्रयोग किया जाय।
- **शौचालय एवं स्नानगृह :-** बच्चों एवं माताओं के उपयोग हेतु शौचालय एवं स्नानगृह की व्यवस्था की जाय। अलग से 2 जगहों पर हाथ धोने हेतु व्यवस्था की जाय।

2. कुपोषण उपचार केन्द्र के संचालन हेतु बजट प्रावधान :-

वर्ष 2016-17 में NRHM ROP के तहत कुपोषण उपचार केन्द्रों के लिए स्वीकृत बजट

A. One Time Expenditure		Unit Cost	Total Cost	Remarks
A1	Civil Work (Renovation)			
	1.1 WARD	25000	25000	
	1.2 Kitchen	20000	20000	
	1.3 Bathroom and Toilets	15000	15000	
A2	Cots and Mattresses	25000	25000	
A3	Essential Ward Equipments	50000	50000	
A4	Other Ward Equipments	35000	35000	
A5	Kitchen Equipments	30000	30000	
TOTAL (ONE TIME EXPENDITURE) - (A)			200000	

Operational Cost of Existing 10 Bedded Malnutrition Treatment Center with in 2016-17

S.No.	Activity	1	2
		Unit	Expenditure per month (In Rs.)
A	PROGRAMME ACTIVITIES		
1	Kitchen Supplies (Raw Materials)	Rs @50/child/day *10 children * 30 days	15000
2	Pharmacy Supplies and Consumables	Rs. @ 50/child/day*10 children*30 days	15000
3	Wage compensation and food for mother /care giver.	Rs. @ 100/- per day x 30 days x 10 caregivers	30000
4	Maintenance of equipments, Linen Cleaning ,supplies,etc	Rs. @ 3500/ per month	3500
5	Contingency	Rs 1500 per month	1500
	Total		65000

236)

Operational Cost of Existing 15 Bedded Malnutrition Treatment Center with in 2016-17

		1	2
S.No.	Activity		Expenditure per month (In Rs.)
A	PROGRAMME ACTIVITIES	Unit	
1	Kitchen Supplies (Raw Materials)	Rs @50/child/day *15 children * 30 days	22500
2	Pharmacy Supplies and Consumables	Rs. @ 50/child/day*15 children*30 days	22500
3	Wage compensation and food for mother /care giver.	Rs. @ 100/- per day x 30 days x 15 caregivers	45000
4	Maintenance of equipments, Linen Cleaning ,supplies,etc	Rs. @ 6000/ per month	6000
5	Contingency	Rs 3000 per month	3000
	Total		99000

Operational Cost of Existing 20 Bedded Malnutrition Treatment Center with in 2016-17

		1	2
SN	Activity		Expenditure per month (In Rs.)
A	PROGRAMME ACTIVITIES	Unit	
1	Kitchen Supplies (Raw Materials)	Rs @50/child/day *20 children * 30 days	30000
2	Pharmacy Supplies and Consumables	Rs. @ 50/child/day*20 children*30 days	30000
3	Wage compensation and food for mother /care giver.	Rs. @ 100/- per day x 30 days x 20 caregivers	60000
4	Maintenance of equipments, Linen Cleaning ,supplies,etc	Rs. @ 7000/ per month	7000
5	Contingency	Rs 3000 per month	3000
	Total		130000

कुपोषण उपचार केन्द्र प्रारम्भ करने के पूर्व निम्न CIVIL WORK करवा लिया जाय :-

1. कुपोषण उपचार केन्द्र के किचन, वार्ड, स्क्रीनिंग रूम इत्यादि के फ्लोर को आसानी से साफ होने लायक (टाईल्स या मार्बल) बना लिया जाय ताकि संक्रमण की संभावना नहीं हो।
2. कुपोषण उपचार केन्द्र की दीवारों को भी आसानी से साफ होने लायक तथा वार्ड पर Child Friendly पेंटिंग कराया जाय।
3. कुपोषण उपचार केन्द्र पर 24 घन्टे शुद्ध पेयजल की सुविधा होनी चाहिए।
4. कुपोषण उपचार केन्द्र पर 24 घन्टे बिजली की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, जेनरेटर या इन्वर्टर की सुविधा उपलब्ध करायी जाय।
5. कुपोषण उपचार केन्द्र को हवादार बनाया जाय, खासकर किचन एवं वार्ड हवादार होना चाहिए।
6. मच्छर एवं कीट से बचाव हेतु कुपोषण उपचार केन्द्र के खिड़कियों को जाली से कवर किया जाय।

3. आवश्यक उपकरण एवं सामग्रियाँ :-

कुपोषण उपचार केन्द्र के सफल संचालन हेतु राष्ट्रीय संचालन मार्गनिर्देश के आलोक में निम्न उपकरणों एवं सामग्रियों की व्यवस्था की जाय।

Essential Ward Equipments	
Sl.	Item
1	Glucometer - 3
2	Thermometers (preferably low-reading) - 2
3	Weighing Scale (Digital) (minimum 5gm) - 3

	(one each to be kept in ward, outpatient and emergency area)
4	Infantometer 1 each for OPD and MTC
5	Stadiometer - 1 (to measure standing height)
6	Resuscitation equipments
7	Suction equipment (low presurre)
Other Ward Equipments	
Sl.	Item
1	IV Stands
2	Almirahs
3	Shoe rak & dustbin
4	Room Heaters
5	IEC - Audio/visual materials (TV, DVD Player)
6	Toys for structural play (Safe, Homemade toys can be used as well)
7	Clock
8	Calculator
9	Refrence height and weight charts

Kitchen Equipments	
Sl.	Item
1	Cooking Gas
2	Dietary Scale (to weigh to 1gms)
3	Measuring Jars
4	Electric Blender (or Manual whisks)
5	Water filter
6	Refrigerator
7	Utensils (large containers, cooking utensils, feeding cups, saucers, spoons, jugs etc.) (List Attached as Annexure – III)

Pharmacy Supplies	Estimated Cost Monthly (Rs.)
Antiboitics : (Ampicillin/Amoxycillin/Benzyl penicillin) Chloamphenicil Cotrimoxazole Gentamycin Metronidazole Tetracycline or Chloramphenicol eye drops Atropine eye drops	Will Vary, depending on Bed Occupancy
ORS Electrolyte and minerals Potassium Chloride megnesium Chloride/sulphate Iron syrup Multivitamin folic acid Vitamin A syrup Zinc Sulfate or dispersible Zinc Tablets Glucose (or sucrose) IV fluids (ringer's lactate solution with 5% glucose; 0.45% (half normal) saline with 5% glucose; 0.9% saline (for soaking eye pads)	
Consummables Cannulas, IV sets, paediatric nasogastric tubes	

Kitchen Supplies	Estimated Cost Monthly (Rs.)
Supply for making starter and catch up diet Dried skimmed milk Whole dried milk Fresh whole milk Puffed rice Vegetable Oil Foods similar to those used in home (for teaching / use in transition to home foods)	Will Vary, depending on Bed Occupancy

Other Costs (Estimated Monthly expenditure)
Stationery (Printing of formats, growth charts, registers, etc.), display material
Cleaning and bathroom supplies
Maintenance cost

उपर्युक्त सामग्रियों में से जो सामग्री जिले में मौजूद हो उसकी उपलब्धता कुपोषण उपचार केन्द्र पर सुनिश्चित की जाय।

4. मानव संसाधन :-

कुपोषण उपचार केन्द्र के सफल संचालन हेतु निम्न प्रकार मानव संसाधन की व्यवस्था की जाय। संचालन के पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी, पारामेडिकल कर्मियों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाय।

Staff Position	Sanctioned Post 5-10 bedded Facility
Medical Officer	Financial & Administrative charge of MTC to be given to MO-IC-MTC
Nutrition Counsellor	One
ANM	Four
Cook	One
Attendant – (Support Staff (Grade-IV))	One

5. परिवार के सदस्यों को पारिश्रमिक क्षतिपूरण :-

कुपोषण उपचार केन्द्र में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों को भर्ती किया जाता है। इन बच्चों के साथ उनकी माँ या परिवार के किसी भी सदस्य को रहने की सुविधा दी जाती है। इन सदस्यों को पारिश्रमिक क्षतिपूर्ति (Wage Compensation) के रूप में रु० 100/- प्रतिदिन दिया जायेगा।

6. सहियाओं को प्रोत्साहन राशि

कुपोषण उपचार केन्द्र पर अति गंभीर कुपोषित बच्चों को रेफर करने पर सहियाओं को 50/- रु० प्रति बच्चे एवं कुपोषण उपचार केन्द्र से विरमित होने के पश्चात् 15-15 दिनों पर 4 फोलोअप जाँच करवाने पर 100/- रुपये प्रति बच्चे की दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु राशि का प्रावधान FMR Code B.1.1.3.2.4 एवं B.1.1.3.2.5 के तहत किया गया है।

7. कुपोषण उपचार केन्द्र पर संधारित किये जाने वाले प्रतिवेदन एवं रजिस्टर :-

कुपोषण उपचार केन्द्रों पर निम्न प्रतिवेदन एवं रजिस्टर संधारित किया जाय।

- ✓ कुपोषण उपचार केन्द्र रजिस्टर
- ✓ मासिक प्रगति प्रतिवेदन
- ✓ Multi Chart/SAM Chart (प्रत्येक बच्चों के लिए अलग-अलग संधारित किया जाय)
- ✓ प्रत्येक बच्चे के लिए फोटोग्राफ सहित File
- ✓ डिस्चार्ज टिकट एवं फोलोअप कार्ड
- ✓ दैनिक मजदूरी क्षतिपूरण भुगतान रजिस्टर
- ✓ स्टॉक रजिस्टर
- ✓ आवश्यक दवाओं के लिए स्टॉक रजिस्टर
- ✓ विजिटर रजिस्टर

कुपोषण उपचार केन्द्र को निम्नलिखित सूची के अनुसार सुसज्जित किया जाय।

Sl No	Items	Quantity
	KITCHEN ITEMS	
1	Pressure Cooker (6.5 Litres & 4 Litres)	2
2	Mixer	1
3	Gas Cylinder connection	1
4	Katori (2 doz medium & 2 doz big)	48
5	Tea spoon	24
6	Table spoons	24
7	Plates	24
8	Serving spoons	6
9	Bhagona with lid (Dekchi-Diff sizes)	4
10	Air tight containers (preferably st. steel 4 kg capacity)	12
11	Kadhai (2 Big & 2 small)	4
12	Cholni	2
13	Glasses	24
14	Tray	4
15	Napkins for kitchen	6
16	Gas lighter	1
17	Knives & Peelers	4
18	Balti Steel	4

कुपोषण उपचार केन्द्र,

प्रखण्ड :-

जिला :-

केन्द्र शुरूआत की तिथि :-

केन्द्र में कुल एडमिशन :-

लड़का :-
लड़की :-
अ.ज.जा.:-
अ.जा. :-
अन्य :-

कुल रेफरल की स्थिति :-

आंगनबाड़ी सेविका द्वारा :-
सहिया द्वारा :-
स्वयं से :-
अन्य द्वारा :-

एडमिशन का मापदण्ड :-

W/H <-3SD :
MUAC <11.5 CM :
Bilateral pitting Oedema :

कुपोषण उपचार केन्द्र से कुल विमुक्त बच्चे :-

Cured :
Non Respondent :
Death :
LAMA/Defaulter :
Medical Transfer :

कुल फॉलोअप जाँच :-

Followup 1:
Followup 2:
Followup 3:

कुपोषण उपचार केन्द्र पर कार्यरत कर्मचारी

नाम	फोन नं०
1. डॉ०	
2. ए.एन.एम.	
3.	
4.	
5.	

Bed Occupancy Rate

Month	Bed Occupancy Rate (%)
January	
February	
March	
April	
May	
June	
July	
August	
September	
October	
November	
December	

वर्तमान में इलाजरत बच्चों की विवरणी :-

क्र०	बच्चे का नाम	पिता का नाम एवं पता	बच्चे का उम्र (माह में)	लिंग	भर्ती के समय वजन	अनुमानित वजन	आज का वजन	आहार F-75/ F100/ चिकित्सीय आहार	आहार की मात्रा	केन्द्र में ठहरने का दिन	आहार का समय	
											पहले	बाद
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												